न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर,टोंक

प्रकरण संख्या 58 / 2025

श्री मुकेश चौधरी पुत्र रामकिशन चौधरी निवासी म.नं. 194 कोथून तहसील चाकसू जिला जयपुर राज. ––अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार देवली ––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय दिनांक 28.08.2025

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार देवली को दिनांक 13.06.2025 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गई थी :–

1 अधिग्रहण की विस्तृत जानकारी

कृपया उपरोक्त अधिसूचना के अंतर्गत अधिग्रहित सभी खसरों की खसरा–वार प्रमाणित विवरणी निम्न प्रारूप में प्रदान की जाए:–

खसरा संख्या । गाव । हल्का । क्षेत्रफल । अधिसूचना तिथि । अवार्ड तिथि। कब्जा तिथि । मुआवजा स्थिति । म्यूटेशन स्थिति । टिप्पणी ।

2. तहसीलदार, देवली द्वारा हाल में SBI देवली शाखा को खसरा संख्या 991 में से 0.46 रकबा के अधिग्रहण हेतु NOC हेतु पत्र जारी किया गया है।

अ) कृपया उस पत्र की प्रमाणित प्रति प्रदान करें।

ब) कृपया स्पष्ट करें कि किस कार्यपालक आदेश, विधिक प्रावधान या अधिसूचना के अंतर्गत इस अधिग्रहण को अब भी प्रभावी माना जा रहा है. जबकि न तो मुआवजा दिया गया है. न ही कब्जा लिया गया है। एवं अधिग्रहण की सुचना को ३ दशक से भी अधिक समय हो गया है।

स) क्या ऐसा आदेश किसी अन्य खसरे के लिए भी तहसीलदार ऑफिस द्वारा भेजा गया है? यदि नहीं कारण स्पष्ट करे और सूचि प्रधान करे।

3. धारा 24(2) भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013/Section 24(2), LARR Act- 2013

धारा 24(2) के अनुसार, यदि अधिग्रहण की अधिसूचना के 5 वर्ष बाद तक मुआवजा न दिया गया हो या कब्जा न लिया गया हो, तो अधिग्रहण अमान्य (lapsed) माना जाएगा। क्या खसरा संख्या 991 या अन्य खसरों के संबंध में इस धारा को लागू किया गया है? यदि नहीं, तो कृपया संबंधित आदेश या निर्णय की प्रति प्रदान करे।

4 कृपया उन खसरों की सूची एवं विवरण प्रदान करें जिनके लिए अधिग्रहण तो अधिसूचित किया गया था लेकिन आज तक

अ) मुआवजा स्वामियों को नहीं दिया गया।

ब) मुआवजा दे दिया गया लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में और भौतिक अधिग्रहण नहीं किया गया।

स) परियोजना का कार्य तीन दशक पुराना है और नहर भौतिक रूप से बन चुकी है तो क्या राजस्व विभाग अभी भी जमीनों का अधिग्रहण कर रहा है?

697

जिला कलेक्टर
टोंक

द) क्या राजस्व विभाग अभी भी अधिग्रहण की प्रकिया कर रहा है तो किस किस खसरे के लिए अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है? सूचि प्रधान करे और सभी खसरों से सम्बंधित चल रही प्रक्रिया की सत्यापित प्रति प्रधान करे।

5. अन्य संबंधित दस्तावेजों की मांग / Other Certified Copies Requested अधिसूचना (RJ 2539 dated 23-11-1993), अवार्ड आदेश, कब्जा पंजिका/मेमो मुआवजा भुगतान रसीद/आदेश, म्यूटेशन रजिस्टर (खसरा 991 सहित).

6. पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ने बीसलपुर बांध में से गाद और बजरी निकलने का ठेका मेसर्स थ्री एस डेजिंग कॉर्पोरेशन व अन्य को दिया है और गाद एवं बजरी के ट्रांसपोर्टेशन के लिए वह नहर के पास स्थित भूमि धारको की जमीन पर रोड बना रहा है और भारी मालवाहक वाहनों के लिए सडक का इस्तेमाल किया जा रहा है ? जबकि सरकार द्वारा इस भूमि (खसरा 991) पर आज तक अधिग्रहण नहीं किया गया। कृपया निम्नलिखित जानकारी एवं प्रमाणित दस्तावेज प्रदान करें

अ) किस विभाग द्वारा निर्माण कार्य की अनुमति दी गई?

ब) क्या कोई लीज, आदेश, एमओयू जारी हुआ?

स) क्या तहसील या जिला प्रशासन से अनुमति ली गई? यदि नहीं तो वैधानिक आधार बताएं।

द) यदि तहसील या जिला प्रशासन द्वारा अनुमति दी गई है तो, किस आधार पर ऐसी भूमि पर रोड बनाने की अनुमति दी गई जिसका अधिग्रहण ही नहीं हुआ है ?

7 पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) द्वारा बीसलपुर बांध से गाद और बजरी निकालने का ठेका मेसर्स थ्री एस डेजिंग कॉर्पोरेशन व अन्य को दिया गया है। इस कार्य के लिए गाद और बजरी के परिवहन हेतु नहर के पास की ज़मीन (जैसे खसरा संख्या 991) पर सड़क बनाई जा रही है और भारी मालवाहक वाहन उस सड़क का उपयोग कर रहे हैं।

जबकि खसरा संख्या 991 आज तक सरकार द्वारा अधिग्रहित नहीं किया गया है, कृ पया निम्नलिखित जानकारी और संबंधित प्रमाणित दस्तावेज प्रदान करे

(अ) किस विभाग ने यह सड़क निर्माण कार्य करने की अनुमति दी

(ब) क्या इस कार्य के लिए कोई लीज सरकारी आदेश या एमओयू (समझौता ज्ञापन) जारी किया गया है?

(स) क्या तहसील या जिला प्रशासन से इसकी अनुमति ली गई थी? यदि नहीं, तो बिना अधिग्रहण के भूमि उपयोग करने का कानूनी आधार क्या है?

(द) यदि तहसील जिला प्रशासन ने अनुमति दी है, तो यह अनुमति ऐसी भूमि पर किस आधार पर दी गई. जिसका अधिग्रहण अब तक नहीं हुआ?

हम आग्रह करते हैं कि जानकारी इस प्रकार दी जाए कि एक सामान्य नागरिक, जिसे तकनीकी या कानूनी भाषा की समझ नहीं है, वह भी इसे आसानी से पढ़ और समझ सके।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार देवली को पत्र कमांक 1290 दिनांक 16.07.2025 व 1479 दिनांक 31.07.2025 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार देवली ने पत्र कमांक 4144 दिनांक 01.08.2025 से जवाब प्रेषित किया है कि कार्यालय हाजा से अपेक्षित सूचना तैयार कर दिनांक 31.07.

जिला कलेक्टर
टोंक

2025 को श्रीमान् को प्रेषित की गई है तथा अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनां के कुछ बिन्दुओं का संबंध अति. कलेक्टर (पुनर्वास) एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी बिसलपुर परियोजना देवली से होने से उनके पत्र कमांक 4137 दिनांक 31.07.2025 से अन्तरित करते हुए अपीलान्ट को सूचित किया गया है।

अपीलान्ट द्वारा बिन्दु संख्या 1 ता. 7 की सूचना चाही गई है। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार देवली के जवाब का अवलोकन करने से जाहिर होता है कि तहसीलदार देवली ने उनसे अपेक्षित बिन्दुओं की सूचना अपीलान्ट को ना देकर राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलेक्टर टोंक को प्रेषित कि गई है, जबकि उनसे अपेक्षित बिन्दुओं की सूचना अपीलान्ट को रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित कि जानी चाहिये थी। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार देवली ने अपीलान्ट द्वारा चाही गई सूचना के कुछ बिन्दु लोक सूचना अधिकारी एवं अति. कलेक्टर (पुनर्वास) एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी बिसलपुर परियोजना देवली से अपेक्षित होने से पत्र कमांक 4137 दिनांक 31.07.2025 से आवेदन पत्र को सूचना का अधिकार अधिनियम 2006 की धारा 6(3) के अन्तर्गत अन्तरित किया गया।

अति. कलेक्टर (पुनर्वास) एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी बिसलपुर परियोजना देवली के प्रथम अपीलेट अधिकारी अधोहस्ताक्षरकर्ता नहीं है। अपीलान्ट अति. कलेक्टर (पुनर्वास) एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी बिसलपुर परियोजना देवली के प्रथम अपीलेट अधिकारी के समक्ष नियमानुसार अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है।

फलतः अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार देवली को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी को उनके द्वारा आवेदित सूचना/सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दी जाने योग्य (आपसे अपेक्षित बिन्दुओं की) सूचना निर्णय की प्रति प्राप्ति से 20 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध करावें। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार देवली तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(कल्पना अग्रवाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)